COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

97

माननीय न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र. /2017 रिविजन R 1072 PBR 17

गंगाप्रसाद पिता राजूसिंह, आयु 49 वर्ष, जाति गेहलोत, व्यवसाय–खेती, निवासी–ग्राम भैसायागढ़ा कृषक सेमलिया तहसील कालापिपल जिला शाजापुर म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

प्रार्थी अभिभाषक श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत दिनांक 07-2-17 अधीक्षक 7.2.17 आयुक्त कार्यालय उज्जैन

98
7/2/17

1 बहादुरसिंह पिता राजूसिंह, आयु 60 वर्ष, जाति गेहलोत, धंधा–खेती

2 मांगीलाल पिता राजूसिंह, आयु 58 वर्ष,

3 रामसिंह पिता राजूसिंह, आयु 52 वर्ष

4 प्रेमनारायण पिता रामबक्ष आयु 55 वर्ष

5 सुरेश पिता मदनलाल, आयु 30 वर्ष

6 संजय पिता मदनलाल, आयु 26 वर्ष

7 राजेश पिता मदनलाल, आयु 28 वर्ष

8 भुरीबाई बेवा मदनलाल, आयु 54 वर्ष

9 रेखाबाई पिता मदनलाल, आयु 58 वर्ष पति जितेन्द्र जाति गेहलोत धंधा खेती

समस्त निवासीगण–ग्राम भैसायागढ़ा कृषक सेमलिया तहसील कालापिपल जिला शाजापुर म.प्र.

10 ईमरतबाई पिता रामबक्ष, आयु 54 वर्ष, पति प्रभुलाल जाति गेहलोत, धंधा–खेती, निवासी–ग्राम छतरी जिला सीहोर म.प्र.

11 घीसीबाई पिता रामबक्ष पति रामचरण, आयु 56 वर्ष, जाति गेहलोत धंधा–खेती, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा, तहसील कालापिपल जिला शाजापुर ....रेस्पोडेन्टगण

निरन्तर.....2

3

विषय :–प्रस्तुत निगरानी धारा 50 भू.रा.संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण क्र. 35/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14/12/2016 से क्षुब्द होकर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, उक्त प्रकरण मूल रूप से माननीय नायब तहसीलदार महोदय, कालापीपल जिला शाजापुर के प्रकरण क्र. 7–ए/27/2013–14 में रेस्पोडेन्ट क्र. 1 द्वारा आवेदक के रूप में बंटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

2. यह कि, माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय कालापीपल द्वारा प्रकरण क्र. 7–ए/27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31/01/2015 के विरूद्ध म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 44(1) में निगरानीकर्ता के द्वारा अपीलाण्ट के रूप में अपील प्रस्तुत की गई।

3. यह कि, उक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर के तहत प्रकरण क्र. 35/अपील/2014–15 में संस्थित होकर चलायमान है। उक्त अपील में निगरानीकर्ता अपीलाण्ट के रूप में है। दिनांक 14/12/2016 को सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिससे क्षुब्द होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण में प्रस्तुत निगरानी के आधार

1. यह कि, माननीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, शुजालपुर के समक्ष प्रकरण क्र. 35/2014–15 में प्रकरण तर्क हेतु नियत था उक्त प्रक्रिया में रेस्पोडेन्ट क्र. 1 बहादुरसिंह द्वारा माननीय न्यायालय में एक आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकार्ड पर लिया जाकर उक्त प्रस्तुत अपील में

निरन्तर....3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1072-पीबीआर/17 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री नीलेश नायक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	